न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 4/2019 (राजसमन्द डिक्री)

श्रीमती संतोष देवी पत्नी माधवलाल जी गुर्जर,निवासीगुजरिया खेड़ा, मजरा जुणदा,तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती देऊ बाई पत्नी माधवलाल जी गुर्जर, निवासी सोनीयाणा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती नानी बाई पत्नी किशनलाल जी गुर्जर,निवासी गुजरिया खेड़ा, मजरा जुणदा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरियेभूमिधारी तहसीलदार,रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.काश्तकारी
अधिनियम–1955विरूद्धनिर्णयदिनांक
29–05–2018 डिक्री दिनांक 19–06–2018
उपखण्डअधिकारीरेलमगराप्र.सं.118/14

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :–1–श्री लादुलाल जाट अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री एस.एस. पालीवाल अभिभाषक रे.सं.1
3–श्री राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

निर्णयदिनांक31–08–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किराजस्व ग्राम जुणदा में खाता संख्या 198की आराजी नंबर 3107 रकबा 4 बीघा 16बिस्वा स्थित है, जो वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, जिसमें वादिया का 13/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 11/48 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 11/48 हिस्सा है। वादिया ने अपना हिस्सा दिनांक 05–12–2011 को श्रीमती फेफीबाई से पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया है। वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 मौके [illegible] आपसी विभाजन कर अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं, किन्तु विधिवत विभाजन [illegible] होने से प्रतिवादी संख्या 1 व 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:21 IST
Reason: SelfAttested

लड़ाई–झगड़ा करते हैं। अतः वाद वर्णित आराजी का पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर दिनांक 29–05–2018 को वादिया का वाद स्वीकार कर प्रकरण में दिनांक 19–06–2018 को डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादियाद्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–01–2019 कोप्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1की ओर से उनके अधिवक्ता श्री एस. एस. पालीवाल उपस्थित हुए। औपचारिक पक्षकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया ने दिनांक 03–01–2019 को इन्दौर से आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया, तो उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर अवधि शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया।प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प के सम्बन्ध में अपीलान्ट को कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया, न ही उसे प्राप्त हुआ है, इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने केवल प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट की उपस्थिति दर्ज करते हुए सहमति के आधार पर विभाजन की डिक्री जारी कर दी, जो निरस्त योग्य है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलान्ट/वादिया ने लाखों रूपये खर्च कर कुंआ खुदवाया, जिससे भी अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज करते हुए उक्त चाह को शामलाती रखने में भारी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय को साक्ष्यों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:21 IST
Reason: SelfAttested

वडिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण पुनः नये सिरे से निर्णय किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत राजस्व कैम्प के सूचना पत्र जारी किये जाकर निर्णय पारित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमनेविद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 में विवादित आराजी नंबर 3107 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि में अपीलान्ट संतोष देवी का 13/24 हिस्सा, रेस्पोन्डेन्ट देऊबाई का 11/48 हिस्सा एवं रेस्पोन्डेन्ट नानीबाई का 11/48 हिस्सा दर्ज है। हालांकिराजस्व कैम्प में वादिया/अपीलान्ट उपस्थित नहीं थी, किन्तु जो विभाजन योजना तहसीलदार द्वारा तैयार की गयी है उसमें क्या त्रुटि है, यह अपीलान्ट ने नहीं बताया है, उसकी मात्र आपत्ति यह है कि कुंआ उसके अकेले के द्वारा लाखों रूपये खर्च कर खुदवाया गया है, किन्तु इस बाबत् उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर कुंए को पक्षकारान के शामिल रखा गया है, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार त्रुटि की जाना प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29–05–2018 व डिक्री दिनांक 19–06–2018यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31–08–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:21 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....

व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती संतोष देवी पत्नी माधवलाल गुर्जर बनाम**श्रीमती देऊबाई पत्नी माधवलाल गुर्जर**
निवासी गुजरिया खेड़ा, मजरा जुणदा, निवासी सोनीयाणा, तहसील व जिला
तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द राजसमन्द व अन्य

अपील नं.....**4 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी .....**
.....**रेलमगरा**.....मुकाम.....मुवर्खे.....**29**.....माह.....**05**.....**2018**.....
डिक्री 19–06–2018

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**31**.....माह.....**08**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान**
व हाजरी.....**श्री लादुलाल जाट**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री श्याम सुन्दर पालीवाल**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.....**अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29–05–2018 व डिक्री दिनांक 19–06–2018 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .....**X**.....
.
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.....**X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**31**.....माह.....**08**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2023.09.13 12:35:21 IST
Reason: SelfAttested